फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत डीडवाना सहायक कलेक्टर मुकाम डीडवाना

रामनयाना पु० राजेश्याम बनाम राजेश्याम पु० घीसाराम

किस्त मुकदमा नालिश धारा 82, 128 R.T.A. सं. 1021/25 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/11/25	वकील वादी ने [illegible] यह वाद अन्तर्गत धारा 22, 128 R.T.A. [illegible] किया जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 9/1/26 को पेश हो। Vkas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
	9/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. तामिली रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते तामिली रिपोर्ट हेतु दिनांक 10.4.26 को पेश हो। Vkas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
12.02.26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को आज की तारिख पेशी में लेने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली को आज की तारिख पेशी में लिया गया। सायादी वकील वादी ने पत्रावली को जरिये नोट शीट विड्रॉल खारिज करवाने का निवेदन किया है अतः न्याय हित में प्रा. पत्र स्वीकार कर पत्रावली [illegible] नोट शीट खारिज किया जाता है। पत्रा[illegible] नम्बर से कम होकर फैसल [illegible] Vkas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	Not Pass पदनामित 12/2/26

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:25 IST
Reason: SelfAttested